The Reserve Bank of India has intimated that none of the cases has been reported to it as having been solved.

वाणिज्य मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

1083. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, सस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा हिन्दी में यह कार्य किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलो में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चालू वर्ष के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की 18-9-1987 को एक बैठक हुई है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कोई भी गैर-सरकारी पर्यवेक्षक आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय में जिन अन्य अनुभागों को 25 फरवरी, 1986 से हिन्दी में सभी कार्य करने के लिए अभिज्ञात किया गया है; रोकड-I, रोकड-II, तथा स्थापना-IV अनुभाग। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय के विभागों, सस्थानों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बंध में जानकारी का सम्बन्ध है, उसे संगठनों से एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को मंत्रालय में द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ संगठनों में धारा 3(3) का कार्यान्वयन न होने सम्बंधी कारण, प्रशिक्षित हिन्दी स्टाफ तथा यांत्रिक सुविधाए आदि उपलब्ध न होने जैसी सुविधाओं का अभाव है। उन संगठनों में ग्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी भाषा का विकास

1084 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी भाषी राज्यों को परियोजनाओं से संबंधित अपने सभी कागजात केवल अंग्रेजी में प्रस्तुत करने पडते है जब कि उन की राजभाषा हिन्दी है और वे वर्ग "क" के अन्तर्गत भी आते है और क्या इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार की केवल एक ही भाषा है, अंग्रेजी जिसमें इन सभी कागजात पर विचार किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई राज्य अपने इस तरह के कागजात हिन्दी भाषा में भेजता है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद में ही लगभग एक महीना लग जाता है, इस के पश्चात् इन पर विचार किया जाता है, और जब इनका उत्तर भेजा जाता है, तो पुन: इनका हिन्दी में अनुवाद कराने में लगभग एक महीना लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप,